कार्यालय जिला पंचायत जिला सीहोर, म०प्र०

क्रमांक/4412/जि.प./स्टोर/निविदा/2018–19 सीहोर, दिनांक 3/07/2018

//संशोधित ई–निविदा विज्ञप्ति//

मुख्यमंत्री मजदूर कल्याण (संबल) योजना 2018 के प्रचार–प्रसार व नागरिकों को जानकारी देने और पंजीकृत श्रमिकों के अधिकारिता प्रदान करने के उद्देश्य से जिले में अनुमानित 3.73 लाख पंजीकृत असंगठित श्रमिकों के परिचय पत्र (स्मार्ट कार्ड) व ब्रोशर (जानकारी पुस्तिका) अधिकतम राशि रूपये 10.00 प्रति पंजीकृत असंगठित श्रमिकों के मान से निम्नानुसार स्पेशिफिकेशन के मुद्रित कराये जाने हेतु ई–निविदा म.प्र.शासन के ई–टेण्डरिंग पोर्टल www.mpeproc.gov.in पर ई–निविदा उल्लेखित समस्त शर्तो के अधीन आमंत्रित की जाती हैं। सुरक्षा निधि की राशि रू. 70,000/– का बैंक ड्राफ्ट/आनॅलाईन धरोहर राशि जमा रसीद जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सीहोर के नाम देय होगा, एवं ऑनलाईन आवेदन की शुल्क राशि रू. 2000/–है। ई–निविदा का विस्तृत विवरण जिसमें निविदा की शर्ते इत्यादि की जानकारी विस्तार से जिले की बेवसाईट www.sehore.nic.in पर भी उपलब्ध है।

क्र.	कार्यविवरण	आकार	GSM	पेपर/ कार्ड	कलर	संख्या	कार्य हेतु संयुक्त रूप से प्रतिनग दर अंकों में एवं शब्दों में
1	परिचय पत्र (स्मार्टकार्ड कवर सहित) पीवीसी प्लास्टी कार्ड जिसमें पंजीकृत श्रमिक का पंजीयन क्रमांक, नाम, पिता/पति का नाम, पता, जन्मतिथी, मोबाईल नं. जारीकर्ता कार्यालय का नाम, दिनांक एवं वैधता की अवधि की जानकारी होगी तथा यह क्यू.आर.कोड में भी परिचय पत्र पर अंकित होगी। पंजीकृत श्रमिकों के परिचय पत्र में दर्ज की जाने वाली जानकारी एक्सेल शीट में प्रदान की जावेगी। जिसके आधार पर परिचय-पत्र उक्तानुसार प्रिंट किये जावेंगे। तथा माननीय मुख्यमंत्री जी का संलग्न छायाचित्र अंकित होगा।	5.5 से.मी. X 8.5 से.मी.	300 With 30 Microne Lamination Card	PVC GLOSSY	INTERACTIVE FILL ORANGE	3.72 लाख प्रति लगभग	
2	ब्रोशर (जानकारी पुस्तिका) ए–4 साइज कागज पर मल्टीकलर में 3-फोल्ड आकार में	ए – 4	100	कागज पर	रंगीन		

Purchase of tender start date	Dt. 03-07-2018 time 01:00pm.
Purchase of tender end date	Dt. 10-07-2018 time 12:00 pm
Bid Submission End date	Dt. 10-07-2018 time 02:00 pm
Opening of Technical Bid	Dt. 11-07-2018 time 01:30 pm
Opening of Financial Bid	Dt. 11-07-2018 time 03:00 pm (तकनीकी बिड खोलने की प्रक्रिया के बाद)
Cost of Document	Rs. 2000/- (Non-refundable)+ (E-Procurement Processing fees. Non-refundable)
Earnest Money Deposit	Rs. 70,000/- (Rs. Seventy Thousand Only) to be paid throgh DD/ Online

03/07/18

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत सीहोर

पृ. क्रमांक / 4413 / स्टोर / 2018 सीहोर, दिनांक 3/07/2018

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन श्रम विभाग भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. आयुक्त, भोपाल संभाग भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. कलेक्टर जिला सीहोर की ओर सूचनार्थ।
4. श्रमपदाधिकारी जिला सीहोर की ओर सूचनार्थ।
5. लेखाधिकारी जिला पंचायत सीहोर की ओर सूचनार्थ।
6. ब्यूरो चीफ .... जिला सीहोर की ओर समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु अधिकतम राशि 2,500/– ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत सीहोर

ई–निविदा प्रक्रिया :–

1. निविदा के समस्त दस्तावेज प्रिंट करके प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर रबर मुहर लगानी होगी इससे यह प्रमाणित होगा कि निविदादाता ने समस्त शर्तों को ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लिया है एवं वह समस्त शर्तों से सहमत है। अपूर्ण आवेदन एवं हस्ताक्षर न होने पर तकनीकी रूप से निविदा अमान्य होगी।
2. परिशिष्ट–अ अनुसार स्वहस्ताक्षरित कव्हरिंग लेटर प्रस्तुत करना होगा।
3. परिशिष्ट–ब अनुसार समस्त जानकारी प्रस्तुत करनी होगी। जी.एस.टी. नम्बर भी संलग्न करें।
4. परिशिष्ट–स अनुसार तकनीकी निविदा प्रस्तुत करनी होगी।
5. परिशिष्ट–द अनुसार वित्तीय निविदा प्रस्तुत करनी होगी।
6. उक्त समस्त परिशिष्ट एक बड़े लिफाफे में जमा करना होगा जिस पर ''पंजीकृत असंगठित श्रमिकों के लिये परिचय पत्र (स्मार्ट कार्ड) एवं ब्रोशर की प्रिंटिंग हेतु निविदा पत्र'' लिखा होगा। बड़े लिफाफे में दो अन्य छोटे लिफाफे जिसमें तकनीकी निविदा परिशिष्ट–स जो अलग–अलग लिफाफों में सील्ड बंद कर रखा जाना आवश्यक होगा। अन्यथा निविदा उक्तानुसार न होने पर निरस्त की जावेगी।
7. ई–निविदा प्रक्रिया में समस्त दस्तावेजों के ऑनलाईन फीडिंग दिनांक 10.07.2018 को अपरान्ह 02:00 बजे तक करनी होगी एवं जो दस्तावेज ऑनलाईन फीडिंग किये जायेंगे इनकी समस्त फोटो कॉपी जिसमें भाव पत्र को छोड़कर ओरिजनल डी.डी./ऑनलाईन राशि जमा करने की बैंक रसीद जो कि ''मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सीहोर'' के नाम से देय हो उक्त समस्त दस्तावेज/प्रति दिनांक 11.07.2018 को अपरान्ह 01:00 बजे तक सील्ड लिफाफे में जिला पंचायत सीहोर में जमा कराना सुनिश्चित करना होगा।

www.mpeproc.gov.in पर निविदा डालने की प्रक्रिया :–

1. ब्राउजर पर **www.mpeproc.gov.in** खोले।
2. अपना यूजरनेम एवं पासवर्ड डालकर लॉगइन करें। यदि पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो नवीन यूजर के रूप में रजिस्ट्रेशन कर यूजरनेम पासवर्ड प्राप्त करें।
3. पोर्टल पर समस्त जानकारी भरे।
4. निविदा शुल्क, निविदा प्रक्रिया शुल्क का पोर्टल पर उपलब्ध ऑनलाईन पेमेंट गेटवे के माध्यम से भुगतान करें।
5. पी.डी.एफ. फारमेट में दस्तावेज अपलोड करें।
6. वित्तीय एवं तकनीकी ऑफर प्रस्तुत करें।
7. निविदा को डिजिटली साइन करके बंद करें।

03/07/18

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत सीहोर

परिशिष्ट– अ

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत सीहोर

विषय :– जिला पंचायत सीहोर अंतर्गत पंजीकृत असंगठित श्रमिकों के परिचय पत्र, कव्हर एवं ब्रोशर का मुद्रण कार्य विषयक।

संदर्भ :– म.प्र. शासन श्रम विभाग भोपाल के पत्र क्र. 502/श्रमवि/2018 दिनांक 14.05.2018

उपरोक्त निविदा सूचना के संदर्भ में निविदादाता निविदा सूचना की शर्तो के अनुरुप घोषणा करता/करती हूं –

1. मैं ——————(अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता) विषयांकित कार्य हेतु कम्पनी की तरफ से निविदा में भाग ले रहा हूं।
2. मैं .... पिता.. द्वारा बिड निर्माण एवं जमा करने का कार्य किया गया है।
3. मैं म.प्र. वाणिज्य कर विभाग की ब्लैक लिस्ट में नहीं हूं।
4. मेरे द्वारा दी गई समस्त जानकारी एवं दस्तावेज सही एवं सत्य है।
5. प्रस्तुत किये गए सभी दस्तावेज की ओरिजनल कापी सत्यापन हेतु मेरे पास है जो कि निविदा स्वीकृति की दशा में अन्यथा चाहे जाने पर मेरे द्वारा प्रस्तुत किए जाएंगे।
6. मैं निविदा प्रपत्र में दिए गए विवरण, शर्तो एवं निर्धारित मापदण्डों के अनुसार समस्त कार्य समय–सीमा में संपादित करुंगा।

हस्ताक्षर
कंपनी/फर्म/संस्था की सील

निविदादाता की सामान्य जानकारी

1. पंजीकृत कंपनी/फर्म/संस्था का नाम ....
2. कंपनी/फर्म/संस्था का स्थायी पता ....

   .... दूरभाष ....
3. कंपनी/फर्म/संस्था का पंजीयन क्रमांक ....

   (कृपया पंजीयन आदेश की प्रतिलिपि संलग्न करे)
4. अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम ....
5. अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता टेलीफोन नम्बर ....
6. अधिकृत हस्ताक्षकर्ता का नाम एवं मोबाईल नंबर ....
7. कंपनी/फर्म/संस्था का GST नम्बर ....
8. कंपनी/फर्म/संस्था का पैननम्बर ....
9. कंपनी/फर्म/संस्था का स्थानीय आफिस का पता ....

   ....
10. ईमेल .... दूरभाष ....
11. कंपनी/फर्म/संस्था का पिछले 3 वर्ष का टर्नओवर का विवरण (वर्ष 2015–16,2016–17, 2017–18)

    ....
12. कंपनी/फर्म/संस्था के बारे में विस्तृत जानकारी ....

    ....
13. क्या कंपनी/फर्म/संस्था को कभी ब्लेक लिस्टेड किया गया था । हां /नही यदि ब्लेक लिस्टेड किया गया था तो उसका सम्पूर्ण विवरण देवे।

    ....
14. क्या कंपनी/फर्म/संस्था का स्वयं आईटी व्यवसाय है एवं स्वयं की प्रिंटिंग मशीन है। हां/ नही (इस आशय का प्रमाण–पत्र संलग्न करें)

    ....
15. कंपनी/फर्म/संस्था के स्मार्ट–कार्ड/आईटी/मुद्रण व्यवसाय के कम से कम तीन वर्ष का अनुभव विवरण देवे। (इस आशय के दस्तावेज संलग्न करें)

    ....

    ....
16. एफ.डी.आर. /डीडी क्र. .... दिनाक .... राशि .... बैंक का नाम ....

हस्ताक्षर

कंपनी/फर्म/संस्था की सील

परिशिष्ट –स

-: तकनीकी निविदा :-

स्मार्ट कार्ड एवं ब्रोशर मुद्रण का स्पेशिफिकेशन

पंजीकृत कंपनी/फर्म/संस्था का नाम -..

क्र.	कार्यविवरण	हॉं/नहीं
1	डिमाण्ड ड्राफ्ट	
2	कंपनी/फर्म/संस्था का पेननंबर	
3	कंपनी/फर्म/संस्था का पंजीयन नंबर	
4	कंपनी/फर्म/संस्था का जीएसटी नंबर	
5	कंपनी/फर्म/संस्था का ब्लेक लिस्टेड नहीं होने का शपथ-पत्र	
6	कंपनी/फर्म/संस्था का अनुभव संबंधी विवरण	
7	कंपनी/फर्म/संस्था का 3 वर्ष का आयकर रिर्टन	
8	कंपनी/फर्म/संस्था का 30 लाख का टर्नओवर	

सहमति हॉं/नहीं

9. परिचय पत्र (स्मार्ट कार्ड) पी.वी.सी. ग्लासी शीट पर 5.5 सेमी. ✖8.5 सेमी. आकार का रंगीन होगा। जिसमें पंजीकृत श्रमिक का पंजीयन क्रमांक, नाम, पिता/पति का नाम, जन्मतिथि, मोबाईल नं. जारीकर्ता कार्यालय का नाम, दिनांक एवं वैधता अवधि की जानकारी होगी तथा यह जानकारी क्यू.आर. कोड में भी परिचय पत्र पर अंकित होगी। स्मार्ट कार्ड में मान. मुख्यमंत्री जी म.प्र. शासन का छायाचित्र मुद्रण होगा।

10. परिचय पत्र में मान. मुख्यमंत्री जी म.प्र. शासन का फोटो मुद्रण होगी।

11. स्मार्ट कार्ड एवं ब्रोशर का प्रारुप नमूना शर्तो के अनुरुप संलग्न।

हस्ताक्षर

कंपनी/फर्म/संस्था की सील

परिशिष्ट– द

वित्तीय निविदा

कंपनी/फर्म/संस्था का नाम –..

क्र.	कार्यविवरण	आकार	GSM	पेपर/कार्ड	कलर	संख्या	कार्य हेतु संयुक्त रूप से प्रतिनग दर अंकों में एवं शब्दों में
1	परिचय पत्र, स्मार्टकार्ड (कवर सहित) पीवीसी प्लास्टी कार्ड जिसमें पंजीकृत श्रमिक का पंजीयन क्रमांक, नाम, पिता/पति का नाम, पता, जन्मतिथी, मोबाईल नं. जारीकर्ता कार्यालय का नाम, दिनांक एवं वैधता की अवधि की जानकारी होगी तथा यह क्यू.आर.कोड में भी परिचय पत्र पर अंकित होगी। कार्ड कवर के साथ। पंजीकृत श्रमिकों के परिचय पत्र में दर्ज की जाने वाली जानकारी एक्सेल शीट में प्रदान की जावेगी। जिसके आधार पर परिचय-पत्र उक्तानुसार प्रिंट किये जावेंगे। तथा माननीय मुख्यमंत्री जी का संलग्न छायाचित्र अंकित होगा।	5.5 से.मी. X 8.5 से.मी.	300 WITH 30 MICRONE LAMINATION SHEET	PVC GLOSSY	INTERACTIVE FILL ORANGE	3.72 लाख प्रति लगभग	
2	ब्रोशर (जानकारी पुस्तिका) ए-4 साइज कागज पर मल्टीकलर में 3-फोल्ड आकार में	ए – 4	100	कागज पर	रंगीन		

नोट–

1. निविदा संयुक्त दर (सभी करों सहित) पर ही स्वीकृत की जावेगी, पृथक–पृथक नहीं।
2. निविदा में उल्लेखित आयटम की दर में टेक्नॉलॉजी, डिलेवरी/ट्रांसपोर्टेशन, रुलिंग,स्टेचिंग, कटिंग, पैकिंग एवं मेन पावर एवं नियमानुसार समस्त प्रकार के टैक्स समाहित रहेंगे।

हस्ताक्षर
कंपनी/फर्म/संस्था की सील

महत्वपूर्ण नियम/शर्ते :-

1. परिचय पत्र (स्मार्ट कार्ड कवर सहित) जिसमें पंजीकृत श्रमिक का पंजीयन कमांक , नाम,पिता/पति का नाम, पता, जन्मतिथी, मोबाईलनं. जारीकर्ता कार्यालय का नाम, दिनांक एवं वैधता की अवधि की जानकारी होगी तथा यह क्यू.आर.कोड में भी परिचय पत्र पर अंकित होगी।
2. पंजीकृत श्रमिकों के परिचय पत्र में दर्ज की जाने वाली जानकारी पोर्टल के माध्यम से एक्सेल शीट में प्राप्त होगी जिसके आधार पर परिचय पत्र उक्तानुसार प्रिंट किये जायेंगे।
3. ब्रोशर ए – 4 साइज कागज पर 3–फोल्ड आकार में रंगीन प्रिंट दोनों साईड में स्पष्ट, पठनीय एवं गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिये।
4. निविदाकार द्वारा प्रस्तुत दर में समस्त प्रकार के कर सम्मिलित होंगे। पृथक से किसी भी प्रकार का कर/शुल्क देय नहीं होगा।
5. ई–निविदा आवेदन पत्र ऑनलाईन दिनांक 10.07.2018 तक समय अपरान्ह 02.00 बजे तक ऑनलाईन जमा किये जा सकेंगें। एवं निविदा दिनांक 11.07.2018 को अपरान्ह 01:30 बजे खोली जावेगी। समस्त ऑफलाईन दस्तावेज जिसमें ओरिजनल डीडी/ऑनलाईन राशि का जमा करने की बैंक रसीद जमा रसीदों, वित्तीय निविदा को छोड़कर सील्ड बंद लिफाफे में जिला पंचायत में दिनांक 11.07.2018 को 01:00 बजे तक जमा करना अनिवार्य है।
6. ई–निविदा केवल पंजीकृत कंपनी/फर्म/संस्था से जिनका स्वयं का आई टी व्यवसाय और प्रिंटर हो, पर्याप्त मानव संसाधन/उपकरण हो द्वारा भरी जावें। निविदा के साथ में कम्पनी के जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र, GST टैक्स संबंधित आवश्यक दस्तावेज की छायाप्रति भी संलग्न करें।
7. निविदा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सीहोर के नाम से निर्धारित समय–सीमा में प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
8. निविदा म.प्र.शासन के www.mpeproc.gov.in पोर्टल पर ऑनलाईन जमा करना होगी। निर्धारित आवेदन फार्म पर नहीं होने पर विचारनीय नहीं होगी।
9. निविदा प्रपत्र का मूल्य रू. 2,000/– होगा, जो कि वापसी योग्य नहीं होगा।
10. निविदा के साथ धरोहर राशि रुपये 70,000/– का ड्राफ्ट जो "मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सीहोर के नाम से देय होगा। जमा करना अनिवार्य है। धरोहर राशि के अभाव में निविदा स्वीकार नहीं होगी।
11. निविदा अंतर्गत समस्त परिशिष्ट एक बड़े लिफाफे में जमा करना होगा जिस पर **"पंजीकृत असंगठित श्रमिकों के लिये परिचय पत्र (स्मार्ट कार्ड) एवं ब्रोशर की प्रिंटिंग हेतु निविदा पत्र"** लिखा होगा। लिफाफे जिसमें तकनीकी निविदा परिशिष्ट–स लिखा होगा जो अलग–अलग लिफाफों में सील्ड बंद कर रखा जाना आवश्यक होगा। अन्यथा निविदा उक्तानुसार न होने पर निरस्त की जावेगी।
12. असंगठित श्रमिकों को दिये जाने वाले पंजीयन प्रमाण–पत्र (स्मार्ट–कार्ड कवर सहित) का फीचर निम्नानुसार हैं :–
    (अ) कलर – इन्ट्रेक्टिव फिल आरेंज (Intractive Fill Orange)
    (ब) कार्ड क्वालिटी – 300 जी.एस.एम. (300 GSM Wth 30 Micron lamination Sheet)
    (स) साईज – (5.5 सेमी. ✖ 8.5 सेमी.)
13. ब्रोशर ए–4 साईज के लगभग 100 जी.एस.एम. के कागज पर 3–फोल्ड आकार में
    (अ) रंगीन मुद्रित होगा। (प्रारूप संलग्न)
    (ब) निविदा संयुक्त दर पर ही स्वीकृत की जावेगी, पृथक–पृथक दर पर नहीं।
14. सत्यापित किये गये श्रमिकों के पंजीयन की वास्तविक संख्या के अनुसार कार्यादेश दिया जावेगा, जो निविदा में प्रदर्शित अनुमानित संख्या से भिन्न हो सकती है।

15. निविदा मान्य करने पर कार्यादेश प्रदान करने के पूर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सीहोर एवं कंपनी/संस्था/फर्म के बीच राशि रु. 500/- के स्टाम्प पेपर पर लिखित अनुबंध (MOU) किया जावेगा। अनुबंध उपरांत ही कार्यादेश दिया जायेगा।
16. निविदा में उल्लेखित आयटम की दर में टेक्नॉलॉजी, डिलेवरी/ट्रांसपोर्टेशन, रुलिंग, स्टेचिंग, कटिंग, पैकिंग एवं मेन पावर एवं नियमानुसार समस्त प्रकार के टैक्स समाहित रहेंगे।
17. निविदा में दी गई दर माह मार्च 2019 तक प्रभावशील रहेगी एवं इसी दर पर आवश्यकता होने पर समयावधि परीक्षण उपरांत बढ़ाया जा सकेगा।
18. प्रिंट कार्य स्पष्ट, शुद्ध एवं पठनीय तथा गुणवत्तायुक्त होना चाहिये। जिसका सत्यापन किया जावेगा। त्रुटि होने पर नियमानुसार आपको भुगतान की जाने वाली राशि में से कटोत्रा किया जावेगा।
19. मुद्रण में त्रुटि, नमुना अनुसार कागज/शीट का उपयोग न होना, निविदा शर्तों के अनुसार कार्य न होना, समय सीमा में सीमा में कार्य पूर्ण न करना आदि कारणों से कार्यआदेश निरस्त करने एवं देयक कटोत्रा करने के साथ धरोहर राशि राजसात करने के संबंध में निर्णय करने का पूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सीहोर को होगा।
20. निविदा स्वीकृत होने पर कार्यआदेश के अनुसार ही सामग्री प्रदान करना होगी यदि स्पेसीफिकेसन अनुसार सामग्री प्रदान नही करने या समय -सीमा में कार्य पूर्ण करने/सामग्री प्रदान करने में असहमति दर्शाने या सामग्री प्रदान न करने पर संबंधित कम्पनी को पर वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। जिसकी जवाबदारी कम्पनी की रहेगी।
21. कार्यआदेश अनुसार समस्त सामग्री प्रदान होने के पूर्व किसी भी प्रकार की अग्रिम राशि अथवा आंशिक देयक का भुगतान किसी भी स्थिति में नहीं किया जायेगा। कार्य पूर्ण होने के पश्चात एवं समस्त कार्य का मूल्यांकन होने के पश्चात ही भुगतान किया जावेगा।
22. यह निविदा आमंत्रण किसी प्रकार का कार्यादेश नही हैं। निविदा के न्यूनतम/अधिकतम भाव स्वीकार करने अथवा नहीं करने का पूर्ण अधिकार कार्यालय जिला पंचायत सीहोर को होगा, इसके लिये पृथक से कोई पत्राचार किया जाना आवश्यक नही होगा।
23. कंपनी/फर्म/संस्था को कार्यादेश प्राप्त होने के एक सप्ताह की समय-सीमा में कार्य पूर्ण करना होगा। अन्यथा की स्थिति में निविदा शर्तों के उल्लघंन का दोषी माना जायेगा एवं निविदा शर्तो के अनुसार पूर्ण कार्य करने की अंतिम तिथि से 05 दिवस तक जारी प्रतिदिन के लिये कुल देय राशि के 0.25 प्रतिशत दण्ड वसूल किया जायेगा तथा अंतिम तिथि से 05 दिवस व्यतीत होने पर कार्य आदेश निरस्त कर दिया जावेगा। कार्य आदेश निरस्त होनेपर इस कार्यालय को होने वाली हानि का समस्त उत्तरदायित्व संबंधित कंपनी का होगा तथा उसकी धरोहर राशि राजसात कर ली जावेगी। प्रथम स्वीकृत निविदाकार द्वारा कार्य की असमर्थता व्यक्त करने पर द्वितीय निविदाकार को उसी दर पर उसकी सहमति के आधार पर कार्यादेश दिया जावेगा।
24. स्मार्ट कार्ड में माननीय मुख्यमंत्री जी का छायाचित्र म.प्र.शासन श्रम विभाग मंत्रालय भोपाल के परिपत्र क्रमांक 09 के पत्र क्रमांक 578 दिनांक 25.05.2018 के अनुसार मुद्रण किया जाना आवश्यक होगा।
25. परिचय पत्र, ब्रोशर प्रिंटिंग में कोई भी संकेत अथवा मुद्रक का नाम दूरभाष नंबर अथवा संकेत मुद्रित नहीं किया जायेगा।
26. कंपनी/फर्म/संस्था का 1 वर्ष में राशि 30.00 लाख का टर्नओवर कम से कम होना निविदादाता को अनिवार्य है। तथा तीन वर्ष (2015-16, 2016-17, 2017-18) की सीए ऑडिट रिपोर्ट संलग्न होना एवं तीन वर्ष का इन्कम टैक्स रिर्टन होना अनिवार्य है।
27. कंपनी/फर्म/संस्था का जीएसटी नं. संलग्न होना अनिवार्य है।

28. निविदा हेतु कंपनी/संस्था/फर्म का तीन वर्ष का स्मार्ट–कार्ड निर्मित करने का अनुभव होना अनिवार्य है।

29. शासन द्वारा समय–समय पर जारी भुगतान संबंधित प्रतिबंधों या अपरिहार्य स्थिति आने के कारण, यदि भुगतान में विलम्ब की स्थिति निर्मित होती है तो लंबित भुगतान पर किसी प्रकार का ब्याज आदि देय नही होगा।

30. कार्यालयीन क्रय समिति संबंधी द्वारा निविदत्त सामग्री की गुणवत्ता का पूर्व परीक्षण किया जावेगा। सामग्री गुणवत्ता पूर्ण न पाये जाने पर आगामी सफल निविदाकर्ता को पहली न्यूनतम दर पर ही कार्य हेतु आदेशित किया जावेगा।

31. सामग्री प्राप्त होने के उपरांत नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही की जावेगी।

32. तकनीकी एवं वित्तीय प्रपत्र में अंकित समस्त विवरण के समर्थन में दस्तोवजों की स्वप्रमाणित छायापति संलग्न किया जाना अनिवार्य है। दस्तावेज संलग्न न होने पर निविदा अस्वीकार की दी जावेगी।

33. निर्धारित दिनांक एवं समय के उपरांत प्राप्त होने वाले निविदा प्रपत्रों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा एवं इस संबंध में कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी। निर्धारित प्रपत्र में समस्त जानकारियां पूर्णरूप से भरी एवं हस्ताक्षरित होने चाहिए। अधूरे एवं बिना हस्ताक्षर के आवेदन मान्य नही किये जावेंगे।

34. कार्यादेश जारी होने के उपरांत मुद्रण कार्य पूर्ण होने तकसबंधित कार्यालय को प्राप्त होने की संपूर्ण जिम्मेदारी संबंधित कम्पनी की होगी।

35. स्वीकृत कार्य हेतु किसी भी प्रकार की अग्रिम राशि आपूर्तिकर्ता को देय नही होगी।

36. किसी भी विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय कलेक्टर जिला सीहोर का रहेगा एवं न्यायालयीन क्षेत्र सीहोर ही रहेगा।

37. निविदा मान्य/अमान्य करने अथवा किसी भी परिवर्तन का संपूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सीहोर का होगा। धरोहर राशि का डी.डी. रूपये 70,000/–जो की कम्पनी को प्रकिया उपरान्त पुनः संबंधित कम्पनीको देय होगा।

38. परिचय–पत्र (स्मार्ट कार्ड) एवं ब्रोशर (जानकारी पुस्तिका) ए4 साईज कागज पर 3–फोल्ड आकार की दर हेतु संयुक्त रूप से न होने पर संबधित निविदा पर विचार नही किया जावेगा।

39. निविदा प्रपत्र में निर्धारित दिनांक एवं समय पर उपस्थित निविदाकारों/प्रतिनिधियों के समक्ष कार्यालयीन क्रय समिति द्वारा खोला जावेगा जिसमें अनाधिकृत उपस्थिति मान्य नहीं होगी।

40. प्रथमतः तकनीकी प्रपत्र खोला जावेगा, तकनीकी रूप से सफल पाये गये निविदाकारों के वित्तीय प्रपत्र खोले जावेगें तथा तकनीकी रूप से असफल पाये गये निविदाकारों के वित्तीय प्रपत्र नहीं खोले जावेंगे एवं न ही उन्हें आगामी चरण की प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति होगी।

41. तकनीकी एवं वित्तीय रूप से सफल पाये गये निविदाकारों की दरों एवं गुणवत्ता तुलनात्मक विवरण के आधार पर सफल निविदा का निर्णय कार्यालय निविदा समिति द्वारा किया जावेगा। जिस पर अनुमोदन अनुसार कार्यादेश जारी किया जावेगा।

42. शासन के अनुमोदित दरों अनुरूप कार्यादेश एवं सामग्री प्रदाय करने के उपरांत भुगतान किया जावेगा।

43. निविदा में दी गई शर्तो के अनुसार कार्य नहीं किये जाने, मुद्रण संबधित कार्य जैसे कागज/शीट की क्वालिटी में कमी, त्रुटि एवं दी गई समय–सीमा में कार्य नहीं किये जाने पर फर्म को दिया गया आदेश निरस्त करने, देयक राशि में कटौत्रा एवं धरोहर राशि राजसात किये जाने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सीहोर को होगा।

44. निविदा शर्त नियम एवं अनुबंध स्वीकार कर निविदा प्रस्तुत कर्ता को निविदा अनुबंध शर्त एवं नियम क्रमांक 1 से 44 तक के प्रत्येक पृष्ठ पर कम्पनी की मोहर लगाने के उपरांत हस्ताक्षर कर निविदा आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

03/07/18

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत सीहोर